प्रेस विज्ञप्ति

05.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में पांच स्थानों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनकी प्रबंध निदेशक श्रीमती नोहेरा शेख और अन्य द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी प्रबंध निदेशक श्रीमती नोहेरा शेख के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच कर रहा है, जिसमें भोले-भाले लोगों को धोखा दिया गया और उनसे लगभग 36% प्रति वर्ष के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

तलाशी के दौरान 90 लाख रुपये नकद, 1 बीएमडब्ल्यू, 1 मर्सिडीज बेंज, 9 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो सहित 12 महंगी कारें, हीरा समूह, नोहेरा शेख और उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर लगभग 45 करोड़ रुपये (बही मूल्य) के 13 संपत्ति दस्तावेज, लगभग 25 करोड़ रुपये की बही मूल्य वाली 11 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और भारत तथा विदेशों में अपराध की आय को अन्यत्र भेजने से संबंधित विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला कि नोहेरा शैक ने संयुक्त अरब अमीरात में चल और अचल संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया है। इसके अलावा, निवेशकों को धोखा देने और अपराध की पहले से अर्जित आय को इधर-उधर करने के लिए नोहेरा शैक द्वारा अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलीभगत करके शुरू की गई नई निवेश योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण भी तलाशी अभियान के दौरान पता चला।

ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा अपराध की आय से अर्जित 400 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। नोहेरा शेख को पहले इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

आगे की जांच प्रगति पर है।